न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 49/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 15.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कजोड़ पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति बैरवा, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 56/2023 बउनवान कजोड़ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 374/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोदखालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 631 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 1906.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं। इसके उपरांत भी पटवारी की रिपोर्ट को ही मानकर सजायाब कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को बिना सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 374/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोदखालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 631 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 1906.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, क्योंकि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है, न्यायालय के द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 02.11.2022 के अपीलार्थी के विरूद्ध 91 के तहत प्रकरण संख्या 373/2022 दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त दिनांक को धारा 91(3) एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके उपरांत न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा दिनांक 15.11.2022 को उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के अनुपस्थित होने पर निर्णय दिनांक 15.11.2022 से 1 माह के सिविल कारावास एवं 150/– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। किंतु प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध बयान पटवारी में दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पटवारी के द्वारा किस दिनांक को बयान प्रस्तुत किये गये तथा ना ही पटवारी रिपोर्ट एवं बयान में यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा प्रकरण दिनांक 04.11.2022 को दर्ज किये जाने के उपरांत अपीलार्थी के सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 15.11.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है, जबकि प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से अपीलार्थी को सुना जाना आवश्यक प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 19.06.2023 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, छीपाबड़ौद स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 1 माह के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा